रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 1974/श्रावण 22, 1896
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 1974/SRAVANA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th August 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Newsprint—Printing and Writing Paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70% of the fibre contents—(S. No. 44/V)—for the year April, 1974—March, 1975.*

No. 118-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 79-ITC(PN)/74 dated the 7th June, 1974 on the subject mentioned above.

2. The remarks V(b), VI (N. B.) and VIII(b), (c) and (d) appearing in Annexure I to the aforesaid Public Notice may be deemed to have been amended by the revised remarks as given in the annexure to the Public Notice.

3. An additional remark XV as given in the annexure to this Public Notice may also be deemed to have been inserted.

ANNEXURE

Remark V(b)

"The entitlement of individual newspaper/periodical as worked out under Remark V(a) above, will be subject to a reduction of 30% cut on account of reduced availability of newsprint."

Remark VI

N.B.—Periodicals with entitlement of 100 tonnes and above can get Nepa or imported newsprint in the same proportion as dailies as indicated above. Daily newspapers and periodicals with less than 100 tonnes of entitlement after the cut, to whom imported newsprint is admissible, may opt for their entitlement being met upto 50 per cent in imported newsprint and 50 per cent in indigenous newsprint manufactured by Nepa Mills. Daily newspapers/periodicals with entitlement upto 25.00 tonnes can opt for their entire entitlement in Nepa newsprint. Newspapers/periodicals opting for Nepa newsprint will have to obtain their requirements in sizes that Nepa Mills can make available.

Remark VIII(b)—New Daily newspapers/periodicals

In view of the shortage of newsprint, no quota will be allotted to new daily newspapers and periodicals for the first six months. After six months of regular publication, the publishers of such newspapers should submit an application in Actual Users' Form alongwith information contained in Annexure-III and a Chartered Accountant's Certificate showing the average circulation achieved and the average page area and average number of pages printed during rest of the licensing period on the basis of the average circulation actually achieved and the average number of pages and page-area actually printed during the first three months subject to a maximum of 16,500 copies of 6 pages of standard size (2540 sq. cms) in the case of dailies/weeklies/tri-weeklies/bi-weeklies and maximum of 16,500 copies of 12 pages of standard size in the case of other periodicals, provided the applicants execute bonds duly guaranteed by scheduled banks for 75 per cent of the value, applied for under column 10 of the Actual Users' Form ('J'). The bonds which are intended to ensure that the newsprint thus granted is utilised for publishing the proposed newspapers will be cancelled on production of documentary evidence to the satisfaction of the Registrar of Newspapers for India to show that the newsprint has been utilised for the publication of the newspaper(s) concerned.

Remark VIII(c)

Existing newspapers which did not obtain clearance for the use of newsprint or licences/authorisations in 1973-74 will be treated as in VIII(a) & (b) above. But this will not be applicable in the case of those newspapers/periodicals which are in regular publication prior to or as on January 1, 1973. But the requirement of executing the bond duly guaranteed by a Scheduled Bank will be waived only in the case of those newspapers/periodicals who are borne on the records of the Registrar of Newspapers for India and are in regular publication from January 1, 1971.

Remark VIII(d)

In the case of dailies and periodicals which commenced publication prior to 1st April, 1974 and which are in receipt of quota of newsprint less than the maximum admissible to a new daily/periodical, the entitlement will be revised to the maximum admissible on specific application and production of documentary evidence, *i.e.* half-yearly Chartered Accountant's Certificate as per Annexure-II for the licensing year 1974-75. But this will not apply to newspapers whose circulation had been checked by Registrar of Newspapers for India and assessed lower than the claimed circulation after January 1, 1970.

Remark XV

If in an exception case where the publisher has already made formal application for *ad hoc* advance but could not complete any or all the requirements as provided under Remark III, IV and Note 5, under Remark VI, the Registrar of Newspapers for India can, on the merits of the case, and on the production of documentary evidence, make such adjustments and issue allotment of newsprint as may be deemed fit. The decision of the Registrar of Newspapers for India shall be final.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1974

विषय.— वर्ष अप्रैल 1974—मार्च 1975 के लिए अखबारी कागज के लिए आयात नीति—(क्रम संख्या 44/5) मुद्रण और लेखन कागज (इसमें रेखित कागज शामिल नहीं है) जिसमें यांत्रिक कास्ट लुगदी शामिल है और जिसमें रेशे की मात्रा 70 प्रतिशत से कम नहीं है।

सं० 118/आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 79—आई० टी० सी० (पी० एन)/74 दिनांक 7 जून, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के लिए अनुबंध—1 में आई हुई टिप्पणी 5(बी), 6 (एन० बी) और 8(बी), (सी) तथा (डी) को इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध में यथा प्रदान आशोधित टिप्पणियों द्वारा संशोधित किया गया समझा जाए।

3. इस सार्वजनिक सूचना के लिए अनुसूची में यथा प्रदान अतिरिक्त टिप्पणी 15 को भी शामिल किया गया समझा जाए।

अनुबन्ध

टिप्पणी पांच (ख)

उक्त टिप्पणी पांच (क) के अधीन तय की गई किसी समाचार-पत्र नियतकालिक पत्र की हकदारी में अखबारी कागज कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

टिप्पणी छः

नोट.—100 टन और उससे अधिक हकदारी वाले नियतकालिक पत्र नेपा या आयातित अखबारी कागज उसी अनुपात से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि ऊपर बनाये गये दैनिक समाचार पत्र प्राप्त करते हैं। 100 टन से कम की हकदारी वाले वे दैनिक समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्र जो आयातित अखबारी कागज के पात्र हैं कटौती के बाद अपनी हकदारी का 50 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज तथा 50 प्रतिशत नेपा मिल द्वारा निर्मित देशी अखबारी कागज ले सकते हैं। 25.00 टन तक की हकदारी रखने वाले दैनिक समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र अपनी पूरी हकदारी नेपा अखबारी कागज से पूरी कर सकते हैं। नेपा अखबारी कागज के लिए अपनी पसंद प्रकट करने वाले समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को अपनी आवश्यकताएं उसी आकार के अखबारी कागज में प्राप्त करना होगा जिसमें नेपा मिल उपलब्ध कर सके।

टिप्पणी आठ (ख)—नये दैनिक समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र

अखबारी कागज की कमी के कारण नये दैनिक समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों को प्रकाशन के पहले 6 महीनों के लिए अखबारी कागज नहीं दिया जाएगा। 6 महीने तक नियमित रूप से प्रकाशित होने के बाद, ऐसे समाचारपत्रों के प्रकाशकों को वास्तविक उपभोक्ता फार्म पर आवेदन करना चाहिए, इस आवेदन के साथ परिशिष्ट तीन में मांगी गयी सूचना तथा चार्टर्ड लेखा कार का प्रमाण पत्र भर देना चाहिए। प्रकाशन के मुद्रण के लिए प्रयुक्त कागज की खरीद के दस्तावेजी प्रमाण के साथ

उस प्रमाण पत्र में प्रकाशन के पहले 3 महीनों के दौरान पत्र की औसत प्रचार संख्या, औसत पृष्ठ क्षेत्र तथा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या भी दी जानी चाहिए। नये समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों को लाइसेंस देने की शेष अवधि के लिए पहले तीन महीनों की वास्तविक औसत प्रचार संख्या और वस्तुत: मुद्रित औसत पृष्ठ संख्या तथा औसत पृष्ठ क्षेत्र के आधार पर अखबारी कागज देने का निश्चय किया जायगा। किन्तु अखबारी कागज की वह मात्रा दैनिकों/साप्ताहिकों/त्रि-साप्ताहिकों/द्वि-साप्ताहिकों के मामले में मादन आकार के 6 पृष्ठों (2540 वर्ग सें० मी०) की अधिक तम 16,500 प्रतियां तक और अन्य नियतकालिक पत्रों के मामले में मानक आकार के 12 पृष्ठों की अधिकतम 16,500 प्रतियां तक सीमित होगी, बशर्ते की आवेदक वास्तविक उपभोक्ता फार्म (जे) के दसवें कालम के अनुसार मांगे गये कागज की मात्रा के 75 प्रतिशत के मूल्य के बांड भरे। इन बांडों की किसी अनुसूचित बैंक से गारंटी दिलानी होगी। ये बांड इस लिए भरने होंगे ताकि यह निश्चित हो सके कि दिया हुआ अखबारी कागज प्रस्तावित समाचारपत्र को प्रकाशन करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बांड भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का दस्तावेजी प्रमाण पत्र पर यह विश्वास हो जाने पर कि अखबारी कागज सम्बन्धित समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, रद्द कर दिए जाएगें।

टिप्पण आठ (ग)

जिन वर्तमान समाचारपत्रों ने 1973-74 में अखबारी कागज इस्तेमाल करने की अनुमती या लाइसेंस/अधिकार पत्र नही लिया, उन पर उपर्युक्त टिप्पणी आठ (क) तथा (ख) की शर्तें लागू होगी / परन्तु उन समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों पर लागू नहीं होंगी जो 1 जनवरी, 1973 को या इससे पहले से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। परन्तु अनुसूचित बैंकों द्वारा गारन्टी शुदा बांड देने की शर्त केवल उन्हीं समाचारपत्रों नियतकालिक पत्रों के मामले में हटायी जायेंगी, जो भारत के समाचार पत्रोंके रजिस्ट्रारके रिकार्ड पर हैं तथा 1 जनवरी 1971 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं।

टिप्पण आठ (घ)

जिन दैनिक तथा नियतकालिक पत्रों का प्रकाशन 1 अप्रेल, 1974 से पहले आरम्भ हुआ था और जिन्हे नये दैनिक/नियतकालिक पत्र को दिए जाने वाले अधिकतम अखबारी कागज के कोटे से कम कोटा मिलता है, उनकी हकदारी इस बारें में दस्तावेजी प्रमाण पत्र अर्थात 1974-75 के लाइसेंसिंग वर्ष के लिए परिशिष्ट 2 के अनुसार चार्टर्ड लेखाकार का छपाई प्रमाण पत्र देने पर और विशेष रूप से आवेदन करने पर दिए जाने वाले अधिकतम कोटे तक संशोधन कर दी जाएगी। परन्तु यह उन समाचारपत्रों पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रचार संख्या की जांच भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा कर ली गई है और वह 1 जनवरी, 1970 के बाद क्लेम की गई प्रचार संख्या से कम नहीं आंकी गई हो।

टिप्पणी पन्द्रह

अगर किसी विशेष मामले में जहां की प्रकाशन के पहले हो तदर्थ अग्रिम के लिए औपचारिक आवेदन पत्र दे दिया हो, परन्तु टिप्पणी तीन चार और टिप्पणी छः के नोट 5 के अनुसार कोई या सब आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सका हो, भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार मामले के गुण दोषानुसार और दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे समायोजन कर सकता है जो उचित समझे जाएं और अखबारी कागज का आवटन कर सकता है। भारत के समाचारपत्रों के रजिस्टार का निर्णय अंतिम होगा।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974